न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
जिला–शेखपुरा
उत्पाद वाद संख्या–427–2019

FORM A

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, जिला–शेखपुरा उपस्थितिः सतीश कुमार झा, निर्णय की तारीखः 26.05.2026 उत्पाद वाद संख्याः–427/19	
सूचक	श्री शिवेन्द्र कुमार, अ0नि0, उत्पाद थाना शेखपुरा।
सूचक के विद्वान अधिवक्ता	श्री अरविंद कुमार, विशेष लोक अभियोजक, शेखपुरा।
अभियुक्त	(1) मीना देवी पति राजेन्द्र राम, उम्र–65 वर्ष, साकिन–कमासी, थाना–शेखपुरा, जिला–शेखपुरा।
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता	एम0एम0 खान।

FORM B

घटना की तिथि	12.12.2029
अभियोजन दर्ज करने की तिथि	12.12.2019
आरोप पत्र समर्पित करने की तिथि	27.01.2020
आरोप गठन की तिथि	30.09.2021
गवाही आरंभ की तिथि	.....
निर्णय निर्धारण की तिथि	25.05.2026
निर्णय की तिथि	26.05.2026
सजा की तिथि	N/A

अभियुक्तगण का विवरणः–

क्र सं0	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्ति की तिथि	आरोप गठन की धारा	बरी या सजा	निर्धारित सजा	विचारण के दौरान धारा 428 द0 प्र0 सं0

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,

जिला–शेखपुरा

उत्पाद वाद संख्या–427–2019

							के तहत नरजबंद
1.	मीना देवी	13.12.2019	18.12.2019	U/s. 30(a) Exice Act 2018	बरी	–	–

FORM C

A अभियोजन साक्षी

क्रम सं0	नाम
–	–

FORM D

B बचाव पक्ष के गवाह, यदि कोई होः

क्रम	नाम
–	–

FORM E

C न्यायालय गवाह, यदि कोई होः

क्रम	नाम
–	–

परिवादी/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श की सूची

A अभियोजन पक्ष

क्र0स		प्रदर्श
1		

B सफाई पक्ष

क्रम	प्रदर्श

C वस्तु प्रदर्श

क्रम	प्रदर्श

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,

जिला–शेखपुरा

उत्पाद वाद संख्या–427–2019

नि र्ण य

1. उपरोक्त अभियुक्त मीना देवी का विचारण धारा 30(a) Exice Act 2018 के अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर कमासी गांव के दक्षिण तालाब किनारे गये तो देखा कि अभियुक्त एक उजला रंग के प्लास्टिक डब्बा लेकर बैठी हुई थी। तत्पश्चात् डब्बा का भौतिक सत्यापन करने पर 07 लीटर चुलाई शराब बरामद किया गया, के आरोपित अपराध के लिए किया गया है।

2. अभियोजन का मामला सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर उत्पाद वाद सं0–427/2019 दिनांक 13–12–2019 के अंतर्गत अभियोजन दर्ज किया गया।

3. संक्षेप में अभियोजन वाद सूचक के लिखित आवेदन के अनुसार इस प्रकार है कि गुप्त सूचना के आधार पर उपरोक्त वर्णित स्थल पर मद्यनिषेध दल शेखपुरा के साथ छापामारी की गयी। तलाशी के नियम को विधिवत पालन करते हुए कॉलम 01 से 02 में अंकित महिला की तलाशी महिला मद्यनिषेध सिपाही संजुला कुमारी से करवाने पर उसके पास से लेकर बैठी हुई उजला रंग के प्लास्टिक के डिब्बा मिला। मेरे द्वारा ढक्कण खोलकर डिब्बा की तलाशी लेने, भौतिक सत्यापन करने पर चुलाई शराब पाया गया। साथ ही उक्त स्थल पर बरामद गंधयुक्त गिलास से स्पष्ट होता है उक्त स्थल पर शराब बैठाकर पिलाया जा रहा था। पूछताछ करने पर बताया कि वह अपने बेटा से अलग है। इसलिए जीने–खाने के लिए थोड़ा बहुत शराब बेच लेती है। कौन शराब लाकर देता है इसकी जानकारी नहीं दी गयी है। उक्त अवैध चुलाई शराब बेचने के स्थल से बरामद प्रदर्श की जप्ती सूची बनाया तथा एक प्रति अभियुक्त को हस्तगत किया। आस–पास स्थानीय व्यक्ति के काण्ड का स्वतंत्र गवाह बनने के लिए अनुरोध किया परंतु को स्वेच्छापूर्वक तैयार नहीं हुआ। गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दी गयी है। मद्यनिषेध दल में सैप, गृहरक्षा वाहिनी एवं अधीनस्थ मद्यनिषेध कर्मी शामिल है। सभी आवश्यक कार्रवाई घटनास्थल पर की गयी है।

4. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर उत्पाद वाद सं0–427/2019 दिनांक 13.12.2019 दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के समाप्ति पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 27.01.2020 को समर्पित किया गया।

5. अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा अभिलेख, केस डायरी एवं आरोप पत्र के आधार पर धारा 30(a) Exice Act 2018 के अंतर्गत दिनांक 12.10.2020 को संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात् अभियुक्त को पुलिस पेपर की आपूर्ति की गयी तथा आरोप गठन के बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात् दिनांक 30.09.2021 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप का गठन किया गया।

6. अभियुक्त मीना देवी के विरूद्ध धारा 30(a) Exice Act 2018 के अंतर्गत दिनांक 30.09.2020 को आरोप गठित किया गया, जिसे अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर

सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने अपने उपर लगाये गये आरोपों से इंकार किया एवं विचारण का दावा किया।

7. अभियोजन पक्ष को अंतिम अवसर दिये जाने के उपरांत अभियुक्त मीना देवी का बयान दिनांक 25.05.2026 को द0 प्र0 स0 की धारा 313 के तहत लिया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया एवं निर्दोष होने का अभिवाक् किया।

8. अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गये आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया।

9. इस न्यायालय के समक्ष निर्धारण हेतु प्रश्न यह हैः–

(i) क्या अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए आधारभूत तथ्य साबित करने में सक्षम रहा है?

(ii) क्या बचाव पक्ष 30(a) Exice Act 2018 द्वारा प्रदत्त कानूनी धारणा को गलत साबित करने में सक्षम रहा है?

मं त व्य

10. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। यह भी कहा गया है कि अभियुक्त मीना देवी के विरुद्ध धारा 30(a) Exice Act 2018 के अंतर्गत दिनांक 30.09.2021 को आरोप गठित किया गया है। इसके पश्चात् न्यायालय द्वारा साक्षियों को सम्मन निर्गत किया गया, तत्पश्चात साक्षियों की उपस्थिति हेतु जमानतीय अधिपत्र निर्गत किये गये हैं, परंतु न तो आरोप पत्र में नामित साक्षी उपस्थित हुए हैं और न ही अभियोजन द्वारा किसी भी साक्षी का साक्ष्य कराया गया है। इसलिए अभियुक्त मीना देवी को दोषमुक्त किया जाय।

11. अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद के अभियुक्त मीना देवी के विरुद्ध आरोप धारा 30(a) Exice Act 2018 के अंतर्गत दिनांक 30.09. 2021 को आरोप गठित किया गया है। इसके पश्चात् न्यायालय द्वारा साक्षियों के साक्ष्य हेतु दिनांक 01.09.2022 को सम्मन निर्गत किया गया है एवं दिनांक 30.05.2023 को B/W निर्गत किया तथा दिनांक 30.01.2024 को पुनः B/W निर्गत किया गया, दिनांक 25.07.2025 को दस्ती सम्मन किया गया एवं अभियोजन को साक्षियों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का दिनांक 18.05.2026 को अंतिम अवसर दिया गया। परंतु न तो अभियोग पत्र के नामित साक्षी उपस्थित हुए हैं और न ही अभियोजन द्वारा किसी भी साक्षी का साक्ष्य कराया गया है। यह मामला सन् 2019 की है। पुराने वादों को त्वरित निष्पादन करना अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में इस पुराने वाद को लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला साक्ष्य विहीन है।

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,

जिला–शेखपुरा

उत्पाद वाद संख्या–427–2019

11. अतः अभियुक्त मीना देवी के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा 30(a) Exice Act 2018 लगाये गये आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अतः यह मामला निष्पादित किया जाता है तथा इन्हें एवं इनके जमानतदारों को जमानत बंधपत्र के दायित्वों से भी स्वतंत्र किया जाता है।

12. कार्यालय लिपिक को नियमानुसार अभिलेख प्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धित,

अनन्य विषेश उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 26.05.2025

अनन्य विषेश उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 26.05.2025

Date Of Judgement/Order	26-05-2026
Date Of Reserving Judgement/Order	26-05-2026
Uploading Date	27-05-2026
Uploaded by	Anjalee Ayyar (Stenographer)